न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 344 सन 2022

अनवान :–

1. भागसिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. गुरतेजसिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 10/6/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 48/38 की कुल 1.2650हैक में से गुरतेजसिह पुत्र बुटासिह प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एव मेजरसिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख का 1/2 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है एव रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 67/67 की कुल 6.0720हैक में वादी के नाम 7/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 5/24 हिस्सा मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाद भूमि सयुक्त खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1एक ही परिवार के सदस्य हे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वादी के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है वादी अपने बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मुश्तरका खाते की भूमि का आपसी सहमति से हुए बाहमी बटवारा के अनसुार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है को बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा एव सिचाई सूविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का परिवारिक समझौता किया जाकर बाहमी बटवारा कर लिया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 48/38 की कुल 1.2650हैक में से गुरतेजसिह पुत्र बुटासिह प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एव मेजरसिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख का 1/2 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है एव रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

67/67 की कुल 6.0720हैक में वादी के नाम 7/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 5/24 हिस्सा मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाद भूमि सयुक्त खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1एक ही परिवार के सदस्य हे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वादी के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है वादी अपने बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 48/38 की कुल 1.2650हैक में से गुरतेजसिह पुत्र बुटासिह प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एव मेजरसिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख का 1/2 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है एव रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 67/67 की कुल 6.0720हैक में वादी के नाम 7/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 5/24 हिस्सा मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा एव सिचाई सूविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का परिवारिक समझौता किया जाकर बाहमी बटवारा कर लिया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज ही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 48/38 की कुल 1.2650हैक भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है में से वादी अकेला 0.5819हैक एव प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.0506हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 67/67 की कुल 6.0720हैक भूमि में से वादी के नाम 7/12 हिस्सा दर्ज है में से वादी अकेला 2.9601हैक एव प्रतिवादी संख्या 0.5919हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/6/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. भागसिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 गुरतेजसिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 344 सन 2022 निर्णय दिनांक– 10/6/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 48/38 की कुल 1.2650हैक भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है में से वादी अकेला 0.5819हैक एव प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.0506हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 67/67 की कुल 6.0720हैक भूमि में से वादी के नाम 7/12 हिस्सा दर्ज है में से वादी अकेला 2.9601हैक एव प्रतिवादी संख्या 0.5919हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर